



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701()पंचावि/प्रशा.1/अभि.सस्था/संस्था-पद./एपीओ/24-22445/पार्ट 2/ जयपुर, दिनांक:

—::आदेश::—

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9119/2022 में पारित स्थगन आदेश के क्रम में विभागीय आदेश क्रमांक 1285 दिनांक 24.04.2022 की क्रम संख्या 31 द्वारा श्री पंकज औदित्य सहायक अभियन्ता का पंचायत समिति कुराबड जिला उदयपुर से पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौडगढ किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

श्री औदित्य यथावत सहायक अभियन्ता पंचायत समिति कुराबड के पद पर पदस्थापित रहेंगे।

(रामनारायण बड़गुजर)
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
8. जिला कलक्टर, संबंधित।
9. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
10. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित।
12. प्रभारी अधिकारी संबंधित कोर्ट केस।
13. संबंधित अभियन्ता को पालनार्थ।
14. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
6143127

Document certified by RAM NARAIAAN BADGUJAR
<RAS.RNBADGUJAR@GMAIL.COM>.

Digitally Signed by Ram Naraian
Badgujar
Designation : Joint Secretary To
Government
Date :14-03-2024 07:22:57